भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

05.02.2020 के

अतारांकित प्रश्न सं. 615 का उत्तर

परिवर्तनीय किराया-भाड़ा प्रणाली

615. श्री तालारी रंगैय्याः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या लंबी दूरी की ट्रेनों में थ्री टियर कोचों की संख्या बढ़ाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे अपनी परिवर्तनीय किराया-भाड़ा प्रणाली (फ्लैक्सिफेयर स्कीम) पर पुनर्विचार करने की योजना बना रही है, क्योंकि ये किराया इसी दूरी के हवाई किराए से भी अधिक होता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

MM 615

परिवर्तनीय किराया-भाड़ा प्रणाली के संबंध में दिनांक 05.02.2020 को लोक सभा में श्री तालारी रंगैय्या के अतारांकित प्रश्न सं. 615 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय रेल पर मांग पैटर्न एक समान नहीं है और विभिन्न खंडों और मार्गों पर व्यस्त एवं कम व्यस्त समय के दौरान यह बदलता रहता है। इसी प्रकार, यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध कराने की दृष्टि से भारतीय रेल द्वारा परिचालनिक व्यवहार्यता, यातायात पैटर्न और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर स्लीपर श्रेणी के सवारी डिब्बों और एसी-III टियर सवारी डिब्बों सहित सभी प्रकार के सवारी डिब्बों के साथ मौजूदा सेवाओं की क्षमता में वृद्धि की जाती है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है। तदनुसार, भारतीय रेल पर विभिन्न गाड़ी सेवाओं में वृद्धि हेतु अप्रैल-दिसम्बर, 2019 की अवधि के दौरान स्थायी संवर्धन हेतु 758 सवारी डिब्बों जिसमें 224 स्लीपर श्रेणी के और 220 एसी-III टियर सवारी डिब्बे शामिल हैं, को उपयोग में लाया गया है।

(ग) और (घ): विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर, फ्लैक्सी फेयर योजना की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा, समिति की सिफारिशों और अन्य अभ्यावेदनों के आधार पर, इस मामले की पहले ही जांच कर ली गई है और 15.03.2019 से आरंभ होने वाली यात्रा हेतु 15.11.2018 से राजधानी, शताब्दी और दूरंतो गाड़ियों में फ्लैक्सी फेयर योजना को निम्नानुसार युक्तिसंगत बनाया गया हैः-

(i) फ्लैक्सी किराया योजना को 15 गाड़ियों में संपूर्ण वर्ष और 32 गाड़ियों में 3 महीनों (फरवरी, मार्च और अगस्त) की पूर्व निर्धारित कम व्यस्त अवधि के दौरान समाप्त किया गया है।

(ii) सभी फ्लैक्सी किराया वाली श्रेणियों में लागू फ्लैक्सी किराया योजना की अधिकतम सीमा को घटाकर 1.4 गुना तक कर दिया गया है।

(iii) फ्लैक्सी किराए वाली गाड़ियां, जिनमें गाड़ी के निर्धारित प्रस्थान से 4 दिन तक श्रेणी-वार अधिभोगिता 60% से कम होती है, में निम्नानुसार ग्रेड-वार छूट दी गई है:-

अधिभोगिता	छूट
70% तक	पिछले किराए पर 20%
70% से 80%	पिछले किराए पर 10%
80% से अधिक	कोई नहीं

******